

53

संख्या : 2807 / 1-10-13-33(123) / 13

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव (निगम),
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 15 अगस्त, 2013

विषय: दैवी आपदा कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1872 रो/2013-54 रो/10, दिनांक 18.07.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ने उत्तराखण्ड राज्य में दैवी आपदा से प्रभावित यात्रियों को ऋषिकेश एवं हरिद्वार से विभिन्न गंतव्य स्थानों हेतु विशेष परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जाने के आलोक में ड्यूटी में उपलब्ध करायी गयी बसों के लिए बस के चालकों, पर्यवेक्षकों व अन्य स्टाफ को अग्रिम धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि के भुगतान के साथ-साथ उपलब्ध करायी गयी बसों इत्यादि हेतु आपके द्वारा मांग की गयी कुल धनराशि रु0 4,82,90,936/- (रु0 चार करोड़ बयासी लाख नब्बे हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) अतिरिक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जायें।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये।

भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2-प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।